छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | नवम् सत्र | अंक-12

रायपुर, शनिवार, दिनांक 24 मार्च, 2012

(चैत्र-4, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. वर्ष 2012-2013 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 39, ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या 56, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 50 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-39 पर श्री ताम्रध्वज साहू एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-56 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री फूलचंद सिंह, धर्मजीत सिंह, दीपक कुमार पटेल,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवराज सिंह उसारे, राजू सिंह ठाकुर,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर,

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

सभा की कार्यवाही को विकृत स्वरूप में प्रकाशित करने पर

कल सभा में कृषि विभाग की मांगों पर चर्चा के समय हुए वाद-विवाद से संबंधित कार्यवाही के अंशों को मैंने विलोपित करते हुए, उनके प्रकाशन को निषिद्ध किया था तथा सदन में इसका स्पष्ट उल्लेख भी मेरी व्यवस्था में किया था।

सभा की कार्यवाही के प्रकाशन पर नियंत्रण और यदि आवश्यक हो तो उसके प्रकाशन को निषिद्ध करने की शक्ति सभा को प्राप्त है । सभा की कार्यवाही से विलोपित अंश सभा की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होते हैं और ऐसे अंशों को प्रकाशित करना सभा की अवमानना की श्रेणी में आता है ।

पत्रकार दीर्घा के पत्रकारों जिनके ऊपर इस सभा की कार्यवाही को प्रसारित करने का उत्तरदायित्व है, से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभा की कार्यवाही को उसी स्वरूप में प्रकाशित करें जिस स्वरूप में आसंदी के द्वारा अनुमत की गई हो ।

किंतु मुझे अत्यंत दु:ख के साथ यह उल्लेख करना पड़ रहा है कि रायपुर से प्रकाशित समाचार पत्र "पत्रिका" ने आज दिनांक 24 मार्च, 2012 के अंक में आसंदी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद निर्देशों की अवहेलना करते हुए विलोपित अंशों को प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है और इस प्रकार प्रथम दृष्टया सभा की अवमानना की है ।

अत: मैं पत्रिका समाचार पत्र के पत्रकारों को जारी किये गये पत्रकार दीर्घा के प्रवेश पत्रों को निरस्त करता करता हूं और सभा की अवमानना का यह प्रकरण विशेषाधिकार समिति को संदर्भित करता हूं ।

3. वर्ष 2012-2013 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री खेदूराम साहू, (भजन सिंह निरंकारी-अनुपस्थित), विरेन्द्र कुमार साहू।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 9, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 8, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या 35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या 58 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-9 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, रामदेव राम **मांग संख्या-8 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, शिवराज सिंह उसारे **मांग संख्या-58 पर** श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ.सुभाऊ कश्यप,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, विरेन्द्र कुमार साहू, शिवराज सिंह उसारे, नंदकुमार साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री राजू सिंह ठाकुर, रविन्द्र चौबे।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 4.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 26 मार्च, 2012 (चैत्र 6, शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा